जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी– 924 दिनांकः– 23-7-09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 54वी बैठक दिनांकः 23.7.09 को पूर्वान्ह 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		54:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 53वीं बैठक दिनांक 18.6.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 50वीं से 53वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	I. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 53वीं बैठक दिनांक 18.6.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन किया गया। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **50वीं बैठक** दिनांक 18.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 50:3 के संदर्भ में दुकान के उपर छत के वाणिज्यिक आवंटन के लंबित प्रस्तावों के जोनवार सूचना सभी जोन्स से प्राप्त हो गई है। दुकानों के उपर छत के आवंटन की प्रक्रिया एवं दरों के संबंध में सुझाव के साथ आवंटन के प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। ii. प्रस्ताव संख्या 50:6 के संदर्भ में डेयरी योजना में जिन लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनके द्वारा भूमि का डेयरी हेतु ही उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं तथा क्या उनके द्वारा पूर्व में चलाई जा रही डेयरियों को नवआवंटित डेयरी योजना के भूखण्डों पर शिफ्ट किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में जोन उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त होनी थी। जोन उपायुक्त ने बताया कि इस बिन्दू पर जोनल अभियंता जोन–12ए से रिपोर्ट चाही गई थी जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) जोनल अभियंता जोन–12ए से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जयपुर विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें तथा पूर्व निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करावें। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **51वीं बैठक** दिनांक 27.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्देश दिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 51:4(1) 33के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

खासाकोठी को स्थानान्तरित करने के क्रम में निर्देश दिये गये कि खसरा नम्बर 9 एवं 26 जो राज्य सरकार के नाम दर्ज है उन्हें जविप्रा के नाम दर्ज करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जिला कलैक्टर जयपुर को पत्र लिखा जावे एवं व्यक्तिशः भी सम्पर्क कर प्रयास किये जावे।

III. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के प्रकरण में यह देखा जाना था कि भूखण्डों के आगे–पीछे अधिक भूमि का क्या उपयोग हो सकता है इस संबंध में जोन उपायुक्त ने समिति को बताया कि दिनांक 1.6.09 की बैठक के निर्णय की अनुपालना में मौके पर भूखण्डों का भौतिक सर्वे करवाने हेतु पत्रावली दिनांक 9.6.09 को निदेशक (अभियांत्रिकी) को प्रेषित की गई थी जो वापिस प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण जोनल अभियंता 12बी के पास लंबित है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये निदेशक (अभियांत्रिकी) जोनल अभियंता जोन–12बी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जयपुर विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें तथा समिति के पूर्व निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

ii. सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव संख्या 52:7(2) की अनुपालना के संबंध में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में पूर्ण तथ्यों के साथ सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु भूखण्ड आवंटन के प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त आगामी बैठक में रखा जावे।

iii. दिनांक 1.6.09 को समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बीएसएफ को आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावित की गई भूमि स्थल के संबंध में बीएसएफ अधिकारियों ने आपत्ति की है जिसके उपरान्त प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग के यहां दिनांक 21.7.09 को हुई बैठक में चर्चानुसार बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा भूमि के नये प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये है जिनका परीक्षण कर समिति की आगामी बैठक में मय एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया जावे।

iv. प्रस्ताव संख्या 52:7(8) एयरपोर्ट बाउण्ड्रीवाल के पास 160फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों का पुनर्वास करने हेतु नीति बनाकर प्रस्तुत करने हेतु दल का गठन किया गया था, दल की रिपोर्ट

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				अपेक्षित है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दल आगामी 10दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं प्रकरण को आगामी बीपीसी (एलपी) में विचारार्थ रखा जावे। v. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे। IV. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **53वीं बैठक** दिनांक 18.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 53:2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील बस्सी के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवाया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में धारा 25(3) व 25(2) की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया था कि इससे पूर्व मौके पर भूमि का पीटी सर्वे करवाया जावे और संस्थानिक आवंटनों के प्रयोजनार्थ इसकी प्लानिंग भी करवा ली जावे। संस्थानिक आवंटनों के लिए 60फीट रोड की कनेक्टीविटी को भी प्लान किया जावे। उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को भेजी गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जावे साथ ही निदेशक (आयोजना) भी अपेक्षित प्लानिंग कर अवगत करावे। ii. प्रस्ताव संख्या 53:3(2) पार्थ नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–256 व बी–485, सी–888 व सी–567 के बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन एवं दर तय करने बाबत उपायुक्त जोन–11 ने समिति को बताया कि 3 भूखण्डधारियों को मांग–पत्र जारी कर दिया गया है एवं भूखण्ड संख्या बी–485 का बढा हुआ क्षेत्रफल राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करवाया जावे।
2.	7	54:2	सांयकालीन दैनिक समाचार पत्र 'करंटज्वाला' को ग्राम धावास के खसरा नम्बर 57 में भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 4000व.मी. में से 2000व.मी. भूमि संस्थानिक आरक्षित दर के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर की 50प्रतिशत दर पर आवंटन के संबंध में।	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 7.3.98 के अनुसार समाचार–पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रकाशन की सुविधाओं आदि के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन की जा सकती है जबकि समाचार–पत्र द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में भूमि आवंटन का प्रयोजन "समाचार पत्र के लिए भवन निर्माण हेतु" अंकित किया है। अतः समिति द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इस बिन्दू पर परीक्षण किया जाकर स्पष्ट स्थिति के साथ प्रकरण समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3.	12	54:3	भूखण्ड संख्या ए–72 आनन्द लोक योजना क्षेत्रफल 162 व.मी. मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण भूखण्ड संख्या बी–102 विनिमय करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार विनिमय का निर्णय लिया गया।
4.	12	54:4	श्री मोहित सक्सैना को आनन्द लोक फेज द्वितीय में आवंटित भूखण्ड संख्या 642 क्षेत्रफल 252 व.मी. के स्थान पर विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	जोन उपायुक्त ने समिति को बताया कि भूखण्ड संख्या 171, 364, 366, 368, 375, 532 व 804 प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 25.2.09 एवं एलपीसी के निर्णय दिनांक 18.2.09 के बिन्दू संख्या 50:2 के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपलब्ध है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बताये गये उक्त रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय कर दिया जावे।
5.	12	54:5	नंदलाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड सं. 203 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के बदले 270 वर्गमीटर का अन्य रिक्त भूखण्ड संख्या 125, 137, 193 में से एक भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।	प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराने के कारण मूल रूप से आवंटित भूखण्ड को दिनांक 18.6.2004 को निरस्त किया गया था और निरस्त किया गया भूखण्ड अन्य को आवंटित हो गया था। इसके उपरान्त ब्याज एवं पैनल्टी लेकर भूखण्ड आवंटन की बहाली करने का निर्णय जयपुर विकास आयुक्त द्वारा लिया गया था जिसका कार्योत्तर अनुमोदन कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक दिनांक 29.8.08 में किया गया था। चूंकि निरस्त आवंटन की बहाली मूल भूखण्ड के रूप में ही और निर्धारित समयावधि में ही की जा सकती है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सक्षम अधिकारिता सहित समस्त पहलुओं का विस्तृत परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। तब तक प्रकरण स्थगित किया गया।
	8	54:5(1)	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा, सांगानेर जिला जयपुर को 3380व.मी. निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय एल.पी.सी. की 48वी. बैठक में लिया गया। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 14.2.05 में 3000व.ग. भूमि निःशुल्क आवंटन के प्रावधान है अतः शेष 1042व.ग. भूमि की राशि लिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि में से 3000व.ग. भूमि निःशुल्क तथा 1042वर्गगज भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	8	54:5(2)	प्रार्थी श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा को पुनर्वास के तहत जविप्रा अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या 110/05 निर्णय दिनांक 11.10.06 के निर्णय के अनुसरण में ग्राम सुखपुरिया तहसील सांगानेर में जविप्रा की भूमि में सृजित रिक्त दुकान संख्या 22	आवंटन हेतु प्रस्तावित रिक्त भूखण्ड संख्या 22 से 37 में से 3–3 भूखण्डों का समूह बनाकर लॉटरी से एक साथ तीन भूखण्डों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			से 37 में से 3 दुकानों की 50वर्गगज अर्थात् 41.80व.मी. का व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	
9.	11	54:5(3)	सांईस एवं तकनीकी विभाग राजस्थान जयपुर को सांईस सिटी की स्थापना हेतु ग्राम छितरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 597 रकबा 6.54 हैक्टर व खसरा नं. 598 रकबा 5.56 हैक्टर भूमि जो हैबिटैट रियलिटी का आवंटन निरस्त करने के पश्चात सांईस सिटी हेतु 25 एकड़ भूमि आवंटन।	प्रस्तावित भूमि बीडी द्वारा हेबीटेट रियलिटी को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन निरस्त होने की शर्त पर साइंस एवं तकनीकी विभाग को साइंस सिटी की स्थापना हेतु ग्राम छितरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 597 रकबा 6.54 हैक्टर व खसरा नं. 598 रकबा 5.56 हैक्टर भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
10.	10	54:5(4)	महिमा शिक्षा समिति को ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 364, 426 में से 2.63 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत्।	भूमि के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण स्थगित किया गया।
11.	12	54:5(5)	राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय, वीर हनुमान मार्ग, चौमू तहसील चौमू के शाला भवन एवं खेल मैदान हेतु चौंमू में ईको फ्रेण्डली आवासीय योजना (फार्म हाउस) में से एक रिसोर्टस भूखण्ड 11769 वर्ग मी. भूमि में से 3000 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार आवंटन का निर्णय लिया गया।
12.	8 व 11	54:5(6)	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने बाबत।	प्रस्तावानुसार पांच विस्थापित व्यक्तियों को रियायती दर पर जरिये लॉटरी भूखण्ड (प्रत्येक 90व.मी.) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। लॉटरी सर्वप्रथम ग्राम गोविन्दपुरा के शेष तीन भूखण्डों के लिए निकाली जावे उसके बाद शेष दो विस्थापितों के लिए ग्राम बक्शावाला में लॉटरी निकाली जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13- जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 54–वी बैठक दिनांक 3.7.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री ललित कुमार गुप्ता, सचिव	सदस्य
3.	श्री भास्कर शर्मा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता	सदस्य के प्रतिनिधि
5.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
6.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्री आर.के.पारीक, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
8.	श्री जाकिर हुसैन, ए.डी.आर.	विशेष आमंत्रित
9.	श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
10.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
11.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
13.	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
15.	श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
16.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
17.	श्री अरविंद जाखड़, तहसीलदार जोन–4	विशेष आमंत्रित